



UPAU010001282026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, औरैया

सिविल अपील संख्या-02/2026

गीता देवी बनाम रानी देवी ।

दिनांक 13.08.2026

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार करायी गयी। पक्षकार अनुपस्थित। आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत सिविल अपील में विगत कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। आज पक्षकारों की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार प्रस्तुत वाद चलाने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः सिविल अपील पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है। तदनुसार सिविल अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

जनपद न्यायाधीश,
औरैया ।